

5.2.24 वकील चापों अउपरिमत । प्राथमिण स्वयं
अनुपरिमत । - चूँकि चापना-पत्र से संबंधित
मूल वाड का निस्तारण किया जा चुका
है। इसलिये चापना-पत्र 212/RTA स्वतः
ही ओचित्यहीन हो जाता है। अतः चापना
-पत्र 212/RTA को वर्तमान स्तर पर
स्वारित किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
मूल वाड के संलग्न हो।

(स्वामी गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
भटन सहायक कलेक्टर
दिल्ली